न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या–69 / 2017

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमति रामकंवरी पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी ताउसर बास गेलसर तहसील व जिला नागौर।		1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर । 4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्लॉक नागौर।

उपस्थित :–
1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. अप्रार्थीगण की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश   दिनांकः 15-1-18

1–प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के 166 / 260 कि.मी. से 226 / 400 कि.मी. तक के भूखण्ड (नागौर–जोधपुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने / दो लेन / चार लेन बनाने आदि) में परिवर्तित करने के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (छः)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 19.05.2017 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीनी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने प्रकरण में कथन किया की प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 23.05.2016 को दो अवार्ड पारित किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	अवार्ड दिनांक	अवार्ड के प्रथम पृष्ठ पर 3ए की अधिसूचना की दिनांक	अवार्ड 3ए की मूल रिकार्ड अनुसार सही अधिसूचना दिनांक	3ए की अधिसूचना का अखबार में प्रकाशन की दिनांक	
1	23.5.2016	6.3.2014	4.3.2014	6.5.2014 7.5.2014	प्रकरण में धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक मूल रिकार्ड अनुसार 4.3.2014 है।
2	23.5.2016	27.2.2015	27.2.2015	10.4.2015	

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में उक्तानुसार प्रथम अवार्ड दिनांक 23.5.2016 जिसका अखबार में प्रकाशन 7.5.2014 को हुआ है, के द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया गया है। वकील प्रार्थी द्वितीय अवार्ड जिसका अखबार में प्रकाशन दिनांक 10.4.15 को किया गया है की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जो गलत रूप से प्रस्तुत की गई है। परन्तु उक्त अवार्ड के साथ मुआवजा गणना प्रपत्र प्रथम अवार्ड जिसका अखबार में प्रकाशन दिनांक 7.5.2014 को हुआ है, जो सही प्रस्तुत किया गया है। वकील प्रार्थी प्रथम अवार्ड दिनांक 23.5.2016 जिसका अखबार में प्रकाशन 7.5.2014 को हुआ है, की प्रमाणित प्रति तथा इसके साथ का मुआवजा गणना प्रपत्र की ही प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उक्त संबंध में राजपैरोकार द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल रिकार्ड अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया।

वकील प्रार्थी द्वारा उक्त संबंध में कथन किया की उपर्युक्त दोनों अवार्ड एक ही दिनांक को 23.5.2016 को पारित किये गये है। अवार्ड का मुआवजा गणना प्रपत्र की प्रमाणित प्रति तो प्रार्थी द्वारा सही रूप से अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत की है परन्तु इसके साथ अवार्ड का प्रथम भाग जिसमें की अवार्ड के संबंध में विवेचन किया गया है, की प्रमाणित प्रति सहवन से द्वितीय अवार्ड का प्रस्तुत कर दी गई है, परन्तु इसमें प्रार्थी का कोई दुराश्य नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया। वकुलाय के कथनों पर विचार किया गया यह सही है की दिनांक 23.5.2016 को दो अवार्ड पारित किये गये जिसमें प्रथम अवार्ड प्रार्थी के प्रकरण में पारित किया गया है, वकील प्रार्थी का कथन उचित प्रतीत होता है कि उसके द्वारा सहवन से गलत द्वितीय अवार्ड की प्रति प्रस्तुत कर दी गई है। अतः न्याय हित में प्रार्थी द्वारा अपनी अवाप्तशुदा भूमि के संबंध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना उचित होने से प्रकरण की गुणावगुण पर सुनवाई की गई।

2–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीनी के वकील ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि–

2(1)– अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 फतेहपुर से नागौर खण्ड एवं नागौर–जोधपुर सेक्शन तक भूमि को चौड़ा करने, दो लेन बनाने हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की ओर प्रार्थीनी की भूमि बाबत क्र.सं. संख्या–94 दर्ज कर प्रार्थीनी की ग्राम अठियासन स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 23.08 बीघा में से 1.3295 हैक्टयर भूमि अधिकृत कर धारा 3(छ)(1) के अन्तर्गत प्रतिकर के रूप में राशि का निर्धारण करते हुऐ दिनांक 23.5.16 को अवार्ड पारित कर दिया। मुआवजा निर्धारण के मूलभूत व स्वीकृत सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए अवाप्ति में शामिल सम्पति के मैनेजमेंट, लेण्ड वैल्यू, मुआवजा प्राप्त करने के निर्धारण एवं मुआवजा के निर्धारण बाबत अवाप्ति में शामिल भूमि वैल्यू का सही निर्धारण नहीं किया है।

2(2)– भूमि अवाप्ति द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है और किसी भी स्तर पर अवाप्त से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना की गई है। उपरोक्त कार्यवाही व निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रार्थीनी को न तो कोई नोटिस प्रेषित किया गया एवं प्रार्थीनी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अवार्ड पारित किया है, जो काबिल निरस्त के है।

कलक्टर, नागौर

2(3)– अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया से अवार्ड दिनांक 23.5.16 पारित किया गया है कि जिसमें न तो प्रार्थीनी उनके समक्ष अपना पक्ष रख सकी, न ही सबूत पेश कर सकी, जिसके अभाव में अवाप्ति अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रभावित व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय कार्यवाही करें जबकि प्रभावित व्यक्ति या जिस व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जाता है उसे आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान

नागौर (राजस्थान)

किया जाना चाहिये एंव तत्पश्चात् साक्ष्य सबूत का अवलोकन कर इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जाना चाहिये था। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार ऐसा अवसर प्रदान किये बिना की गई कार्यवाही और इस संबंध में पारित किया गया अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)– भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त करते हुए अवाप्त शुदा भूमि का जो मुआवजा निर्धारित किया गया उस मुआवजे की राशि प्रार्थीनी के बैंक खाते में जमा होने पर प्रार्थीनी को सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि प्रार्थीनी को उसके अवाप्त शुदा भूमि का उचित मुआवजा जो विधिनुसार बनता है, वो नहीं दिया गया बल्कि मुआवजे की गणना भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 व 2013 के अनुसार नहीं की गई है। इस कारण उक्त प्रकरणों में उचित मुआवजा राशि नहीं मिलने से प्रार्थीनी के अधिकारों का हनन हुआ है।

2(5)– अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 782 रकबा 23.08 बीघा में से 1.3295 हैक्टर भूमि अवाप्त की गई है। किन्तु उक्त भूमि का मुआवजा तय करते वक्त भूमि की कीमत बाजारू कीमत/10,000 = 380070/10,000= 38.007 यानि 38/– रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से मुआवजा राशि तय की गई है जो बिल्कुल ही गलत व अनुचित है क्योंकि प्रथम तो प्रार्थीनी का उक्त खेत सिंचित है। इस कारण ग्राम अठियासन तहसील नागौर की अवार्ड के पैरा सं. 5 (1) में जो भूमि की दर बताई गई है वह 57.52 रूपये प्रतिवर्ग मीटर सिंचित की एंव असिंचित की 47.74 प्रतिवर्ग मीटर अंकित की गई है। इस प्रकार किन्ही भी परिस्थितियों में उक्त दर से कम नहीं मानी जा सकती, किन्तु भी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर जो 38/– रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर मानते हुए जो मुआवजा राशि तक की है वो सर्वथा अनुचित व गलत है क्योंकि प्रार्थीनी के खातेदारी के उक्त खेत में प्रार्थीनी के अन्य खेत खसरा नम्बर 779 में स्थित ट्यूबवेल से प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत में वर्षों से सिंचाई की जाती रही है। इस प्रकार प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत सिंचित भूमि की तारीफ में आता है। इस कारण अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा 57.52/– रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से तय किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

2(6)– भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि की दर गलत रूप से तय करने के कारण सम्पूर्ण मुआवजा की कुल राशि भी गलत तय की गई है क्योंकि वास्तव में अवाप्त शुदा भूमि सिंचित भूमि होने के कारण उसका बाजारू मूल्य 57.52/– रूपये प्रतिवर्ग मीटर के अनुसार उक्त राशि को कारक यानि 2 से गुणा करने पर 115.04/– रूपये होते है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 782 की अवाप्त शुदा भूमि 1.3295 हैक्टर की कुल बाजारू कीमत 15,29,456.8/– रूपये होती है। उक्त अवाप्त शुदा भूमि में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पेडो की कीमत 14,792 /– रूपये तय की गई है व इस खेत में बने मकान की कीमत 2,68,862/– बनती है। इन तीनों का योग करने पर कुल राशि 18,13,110.8/– रूपये बनती है एंव उतनी ही राशि तोषण के रूप में धारा 30 के अन्तर्गत दिया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल राशि 36,26,221.6/– रूपये होती है। किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस अनुसार प्रार्थीनी को मुआवजा नहीं दिया गया है।

2(7)– उक्त प्रकरण में प्रार्थीनी को जो अतिरिक्त प्रतिकर की राशि दी गई है वह अवार्ड में 1,93,759/– रूपये बताई गई है जबकि 747 दिन के अतिरिक्त प्रतिकर की गणना की जाती है तो 57.52 X 13295 = 7,64,728.4 रूपये + 14,792 रूपये पेडो की कीमत + 2,68,862 रूपये मकान की कीमत = 10,48,382.4/– रूपये होती है। उक्त राशि पर 12: प्रतिकर की गणना की जाने पर 2,57,471.20/– रूपये होती है। इस प्रकार 30(3) के अनुसार अतिरिक्त प्रतिकर की राशि की गणना भी गलत रूप से की गई है। मुआवजा राशि 36,26,221.6/– में उक्त प्रतिकर की राशि जोड़ने पर कुल मुआवजा राशि 38,83,692.8/– रूपये बनती है।

कलक्टर, नागौर

2(8)– प्रार्थीनी के खेत के मध्य में सें होकर उक्त राजमार्ग निकाला गया है, जिससे प्रार्थीनी का खेत दो टुकडो में विभक्त हो गया है। इस कारण प्रार्थीनी को सींवे–माठे, तारबंदी अलग से करवानी पडेगी। इस कारण प्रार्थीनी को धारा 28(3) के तहत् उक्त अतिरिक्त नुकसानी की मुआवजा राशि कम से कम 2,00,000/– रूपये प्रार्थीनी को दिलाये जाना न्याय संगत है। इस प्रकार प्रार्थीनी को उसकी अवाप्त शुदा भूमि की मुआवजा राशि के रूप में कम से कम 40,83,692.8 रूपये दिये जो चाहिए थे परन्तु अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीनी की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा मात्र 27,82,279/– रूपये ही दिये है जो बिल्कुल ही गलत होने का कथन करते हुए अवार्ड दिनांक 23.05.2016 में सें जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई है उसमें भूमि की कीमत सोलेसियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज आदि को परिवर्धित किया जाकर मुआवजा राशि व अन्य अनुतोष दिलाने का निवेदन किया है।

3. वकील अप्रार्थीगण राजपैरोकार ने प्रार्थीनी के वकील की बहस का विरोध करते हुवे अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि–

3(1)– ग्राम अठियासन के खसरा नम्बर 782 में से 1.3295 हैक्टयर भूमि अवाप्त करके मुआवजा निर्धारित किया गया है। जो कि राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं संशोधित अधिनियम 1997 के नियमों के अनुसार विधिक प्रावधानों की पालना करते हुऐ सही राशि का किया गया है।

3(2)– भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कई चरणों में होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(a), 3(A), 3(D), 3(G) आदि विभिन्न धाराओं में भारत सरकार द्वारा गजट–नोटिफिकेशन जारी होता है, जिनका प्रकाशन स्थानीय अखबारों में किया जाता है। आपत्तिये आमंत्रित की जाती है, उनका निस्तारण व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देकर की जाती है। तत्पश्चात मुआवजा निर्धारित किया जाता है। अतः प्रार्थी का सुनवाई का मौका नहीं देने का कथन अमान्य है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण न्यायिक विवके से समीक्षा करके एवार्ड पारित किया गया है।

3(3)– प्रार्थीनी के खसरा नम्बर 782 की कुल 23.08 बीघा भूमि में से 1.3295 हैक्टयर भूमि सड़क विकास कार्य हेतु अधिग्रहित की गई है। जिसका युक्तियुक्त मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अधिग्रहण पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुऐ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित करके राशि भुगतान हेतु प्रस्तावित की गई है, जो विधि अनुसार सही हैं। प्रार्थीनी के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है।

3(4)– सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड 1057 दिनांक 23.5.2016 की विस्तृत व्याख्या के अनुसार जो नोर्म्स काम में लिये गये है एवं गणना की गई है वह पूर्णतः विधि अनुसार है। खसरा की भूमि बारानी–3 अंकित है। सिंचाई के लिए अन्य खसरे ट्यूबवेल के पानी का उपयोग किया जाता है। विवादित भूमि असिंचित श्रेणी की होने से मुआवजा की गणना सही की गई है।

3(5)– भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि की दर सही तय की जाकर मुआवजे की सही गणना की गई है। भूमि से संलग्न पेड़ों का मुआवजा भी सम्मिलित किया गया है।

3(6)– प्रार्थीनी को उचित दर से ब्याज/प्रतिकर भी दिया गया है। रूपये 27,82,279/– का मुआवजा भुगतान नियमानुसार एवं सही किया गया है।

3(7)– प्रार्थीनी की इस भूमि में से राजमार्ग निकलने पर उसके आस पास अधिग्रहण से शेष रही भूमि अधिक कीमती होनी संभावित है। कृषि कार्य के उपयोग हेतु भी उपयोगी रहेगी।

3(8)– प्रार्थीनी का दावा गलत तथ्यों पर आधारित होने एवं जानकारी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ पारित अवार्ड में किसी भी तरह से संशोधन/परिवर्धन आदि की आवश्यकता नहीं होने से दावा निरस्त करने का निवेदन किया गया।

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

3(9)– राजपैरोकार वकील अप्रार्थीगण ने हस्तगत प्रकरण के संबंध में दौराने बहस मूल रिकार्ड अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया, जिसको बाद अवलोकन राजपैरोकार वकील अप्रार्थीगण को लौटाया गया।

4– वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार–

4(1)– नागौर–जोधपुर खण्ड के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए अवार्ड दिनांक 23.5.2016 को जारी किया गया है। इस अवार्ड के तहत हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंम्बर 782 में से 1.3295 हैक्टयर भूमि बारानी–3 किस्म का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल मुआवजा 27,82,279 / –रूपये निर्धारित किया गया।

4(2)– अवार्ड दिनांक 23.5.2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 06.05.2014 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 07.05.2014 में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां मांगी गई थी। धारा 3 जी के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (3) के तहत पत्रांक–कोर्ट / भूमि अवाप्ति / 2015 / 1019 दिनांक 31.03.2015 को सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस में प्रतिकार निर्धारण से पूर्व अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में दावे आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय अखबार राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 10.4.2015 को प्रकाशन करवाया गया, मगर तत्समय प्रार्थीनी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार प्रार्थीनी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हे सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन ठोस आधार पर नहीं है।

4(3)– प्रार्थीनी के खेत के मध्य में सें होकर उक्त राजमार्ग निकाला गया है, जिससे प्रार्थीनी का खेत दो टुकडो में विभक्त हो गया है। इस कारण प्रार्थीनी को सींवे–माठे, तारबंदी अलग से करवानी पडेगी। इस कारण प्रार्थीनी को धारा 28(3) के तहत् उक्त अतिरिक्त नुकसानी की मुआवजा राशि कम से कम 2,00,000 / – रूपये प्रार्थीनी को दिलाये जाने को लेकर प्रार्थीनी के वकील का कथन है। उक्त संबंध में प्रार्थीनी के वकील द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

4(4)– प्रार्थीनी के वकील का मुख्य कथन रहा है कि प्रार्थीनी के खातेदारी के उक्त खेत में प्रार्थीनी के अन्य खेत खसरा नम्बर 779 में स्थित ट्यूबवेल से प्रार्थीनी के उपरोक्त खेत में वर्षों से सिंचाई की जाती रही है। इस प्रकार प्रार्थीनी का खेत सिंचित भूमि में आता है। इसलिए प्रार्थीनी की अवाप्त भूमि की बाजार दर 57.52 / –रूपये प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर गणना की जाकर मुआवजा निर्धारण करने का निवेदन किया है, साथ ही प्रार्थीनी के वकील द्वारा रामकंवरी के नाम से अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा वर्तमान खाता संख्या–1806 / 0165 के विद्युत बिल माह मार्च 2017, जनवरी 2017, जनवरी 16, मार्च 2014, सितम्बर 2013 की प्रति तथा खसरा नम्बर 799 के संबंध में खसरा गिरदावरी ग्राम अठियासन संवत् 2071, 2072, 2073, 2074 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

उक्त संबंध में तथ्य इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीनी की अवाप्तशुदा भूमि बारानी–3 मानते हुए प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा

अवार्ड दिनांक 23.5.2016 पारित किया गया है। प्रार्थीनी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीनी के अन्य खेत खसरा नम्बर 779 में ट्यूबवेल होना बताकर उस ट्यूबवेल से हस्तगत प्रकरण में अवाप्त शुदा भूमि के खसरा नम्बर **782** के खेत की भूमि सिंचित होना बताया है। वकील प्रार्थीनी द्वारा विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थीनी के नाम जारी बिलों की प्रतियां पेश की है, उक्त विद्युत बिल किस खसरे/भूमि से संबंधित है, यह स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थीनी का अन्य खेत खसरा नम्बर 779 में ट्यूबवेल स्थित हो और उस ट्यूबवेल के द्वारा प्रार्थीनी द्वारा हस्तगत प्रकरण के खसरा नम्बर **782** के सम्पूर्ण रकबे को सिंचित किया गया हो अथवा आंशिक सिंचित किया गया है अथवा सिंचित किया भी गया हो या नहीं, के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा खसरा नम्बर 799 के संबंध में खसरा गिरदावरी ग्राम अठियासन संवत् 2071, 2072, 2073, 2074 की प्रमाणित प्रति पेश की है, जिसका हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर **782** से क्या संबंध है, यह स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के वकील द्वारा उक्त भूमि सिंचित होने के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

5–उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

6–आदेश सुनाया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
नागौर
कलक्टर, नागौर